भारत सरकार
आयकर विभाग 432

फा.सं.आ.आ. / पटि. / तकनी. / 80–जी / 12 / 2010–11 / ______

कार्यालय,
आयकर आयुक्त, पटियाला ।
दिनांकः 19.05.2011

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80–जी के अधीन आदेश ::

विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80–जी के अधीन अनुमति प्रदान करने के बारे में ।

संदर्भ : दिनांक 17.01.2011 को फार्म नं0 10–जी में प्राप्त आवेदन।

रहिबर फाउंडेशन C/o खान हॉस्पिटल एण्ड मेटर्निटी होम, पुराना सुपर पाईप फैकटरी रोड, भवानीगढ़ को दिए गए दान आयकर अधिनियम 1961 (1961 की 43) की धारा 80–जी के अन्तर्गत, उक्त धारा में निहित सीमाओं एवं शर्तों के अधीन, दान कर्ताओं के पक्ष में कर छूट के योग्य होंगे । यह छूट निर्धारण वर्ष 2011–12 (17.01.2011) और आगे की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन मान्य होगीः

1. दान कर्ताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या तथा तारीख लिखी होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि यह रसीद 17.01.2011 से (निर्धारण वर्ष 2011–12) दिए गए दान के लिए मान्य है।
2. लेखाओं के वार्षिक विवरण, पावतियों एवं खर्च के ब्यौरे एवं तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) प्रति वर्ष आयकर अधिकारी, वार्ड–1, संगरूर के पास प्रस्तुत किए जाएं, जिन्हें यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि निर्धारिती /आवेदक आयकर नियमावली 1962 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों का पालन करता रहे।
3. यदि रहिबर फाउंडेशन C/o खान हॉस्पिटल एण्ड मेटर्निटी होम, पुराना सुपर पाईप फैकटरी रोड, भवानीगढ़ की डीड / गठन / नियम–विनियम / ज्ञापन (विवरण–पत्र) में कोई संशोधन किया जाना हो तो तत्काल इस कार्यालय को सूचित किया जाए एवं आयकर आयुक्त, पटियाला की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। ऐसा न करने पर किया गया कोई भी संशोधन इस आदेश को निष्प्रभावी कर देगा ।

Sd/-
(कुलविंदर सिंह)
आयकर आयुक्त,
पटियाला।

प्रति प्रेषित हैः–

क. रहिबर फाउंडेशन C/o खान हॉस्पिटल एण्ड मेटर्निटी होम, पुराना सुपर पाईप फैकटरी रोड, भवानीगढ़ ।

ख. संयुक्त आयकर आयुक्त, संगरूर रेंज, संगरूर को सूचनार्थ ।

ग. आयकर अधिकारी, वार्ड–1, संगरूर को सूचनार्थ एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक विवरणों की जांच हेतु एवं यह सुनिश्चित करने के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11एए के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी (5) (i) से (v) में निहित शर्तें पूरी हो रही हैं और यदि इन उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसे आयकर आयुक्त को सूचित करें ।

(मनजीत सिंह)
आयकर अधिकारी मुख्या0
तकनीकी, पटियाला।

I) सोसाईटी अपनी आय का प्रयोग एवं संग्रह पूर्ण रूप से तथा विशेष रूप से उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेगा, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा यदि किसी मामले में जहां इसकी आय का 15% से अधिक राशि का संग्रह किया जाता है, इसकी आय के 15% से अधिक राशि के संग्रह की अवधि किसी भी तरह पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

II) सोसाईटी (ज्वेलरी, फर्नीचर अथवा किसी वस्तु के रूप में स्वैच्छिक योगदान के रूप में प्राप्त, जैसा कि बोर्ड द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया हो) को छोड़ कर अपने फडों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा अधिक तरीकों के अतिरिक्त उपरवर्णित निर्धारण वर्ष से संबंधित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए न तो जमा करेगा और न ही निवेश करेगा ।

III) यह आदेश कारोबार के मुनाफे से होने वाली किसी प्रकार की आय के संबंध में लागू नहीं होगा, जब तक कि वह कारोबार ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक न हो तथा इस प्रकार के कारोबार के संबंध में अलग से लेखा – खाते रखे जाते हों ।

IV) सोसाईटी आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयकर प्राधिकारी के पास आय की रिटर्न नियमित रूप से फाइल किया करेंगी ।

V) सोसाईटी के विघटन की अवस्था में, इसकी बचत तथा परिसपत्तियां (एसट्स) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80–जी के अधीन छूट का लाभ उठा रही तथा समान उद्देश्यों वाली संस्था को दे दी जाएगी ।

VI) यदि धारा 11 व 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन गणना (कम्यूट) की गई सोसाइटी की कर योग्य आय पिछले किसी वर्ष में कर न लगाए जाने योग्य आय से अधिक है तो उस वर्ष के लिए सोसाइटी/ट्रस्ट के खाते धारा 288 के उपधारा (2) में दी गई व्याख्या में दिए अनुसार किसी एकाऊंटैंट से आडिट करवाए जाएं तथा व्याख्या में निर्धारित की गई ऐसी विशिष्टियों को दर्शाते हुए आडिट रिपोर्ट विहित प्राफार्मा में उस एकाऊंटैंट से विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित करवाकर संबंधित निर्धारण वर्ष की आयकर रिटर्न के साथ जमा करवाए जाएं ।

3. यदि बाद में यह पाया जाता है कि सोसाईटी की गतिविधियां उपयुक्त नही है अथवा जिस उदेश्य के लिए यह आदेश जारी किया गया था, की एक अथवा सभी शर्तो के अनुसार गतिविधियां नहीं करवाई जा रही है, तो उपर्युक्त आदेश रद्द कर दिया जाएगा ।

Sd/-
(कुलविंदर सिंह)
आयकर अयुक्त,
पटियाला ।

जारी पृष्ठ----**3**----

प्रति प्रेषित है :–

1. संयुक्त आयकर आयुक्त, संगरूर रेंज, संगरूर ।

2. आयकर अधिकारी, वार्ड–1, संगरूर को सुचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रस्ट/सोसाइटी आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से रिटर्न फाइल करती रहें । यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि सोसाइटी की गतिविधियां उपयुक्त नहीं है अथवा जिस उदेश्य के लिए यह आदेश जारी किया गया था, की एक अथवा सभी शर्तों के अनुसार गतिविधियां नहीं करवाई जा रही हैं, तो वे इस आदेश को रद्द करने के लिए तत्काल करवाई आरम्भ कर देंगे ।

48

3. अध्यक्ष, रहिबर फाउंडेशन C/o खान हॉस्पिटल एण्ड मेटर्निटी होम, पुराना सुपर पाईप फैकटरी रोड़, भवानीगढ़ ।

(प्रदीप कुमार)
सहायक आयकर अयुक्त (मुख्या0)
पटियाला।